<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ</u>

पीठासीन अधिकारी:—**(दिव्या) RAS**

प्रकरण संख्या:—378/2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा:— 88 आर.टी.ए.

संतोष पुत्री स्व. ओमप्रकाश पत्नी दलीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नं. 1 चक 6 केकेडब्ल्यू सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— वादिया

बनाम्

शिवप्रकाश पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति जाट निवासी वार्ड नं. 1 चक 6 केकेडब्ल्यू सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— प्रतिवादी

उपस्थित :—

1. श्री भवानी सिंह निर्वाण — अधिवक्ता वादिया
2. श्री सुरेन्द्र सहारण — प्रतिवादी

<u>—:निर्णय:—</u>

दिनांक ....

अधिवक्ता वादिया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि यह कि प्रतिवादी वादिया का सगा भाई है। प्रतिवादी के नाम चक 4 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 82/73 पत्थर नंबर 127/212 (9) किला नंबर 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15, 16/1, पत्थर नंबर 128/212 (10) किला नंबर 1/1, 1/2, 10, 11 कुल 1.645 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादपत्र की चरण 3 में वर्णित प्रतिवादी के नाम दर्ज कृषि भूमि वादिया व प्रतिवादी के पिता श्री ओमप्रकाश से विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रतिवादी अविवाहित है तथा प्रतिवादी वादिया के साथ ही निवास करता है व वादिया ही प्रतिवादी की सार संभाल व भरण पोषण तथा सेवा चाकरी कर रही है। वादिया व प्रतिवादी पिता स्व0 श्री ओमप्रकाश के वारिसान है तथा अर्सा दराज पूर्व वादिया व प्रतिवादी के मध्य घराघरू बंटवारा किया गया है तथा मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादिया को प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी को दीगर चक में कृषि भूमि प्राप्त हुई है लेकिन उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम दर्ज नहीं होने से वादिया के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा वादी राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो रही है। इस कारण वादिया इस आशय की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी व दावेदार है कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक 4 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 82/73 पत्थर नंबर 127/212 (9) किला नंबर 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15, 16/1, पत्थर नंबर 128/212 (10) किला नंबर 1/1, 1/2, 10, 11 कुल 1.645 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला की वादिया खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने की अधिकारी है व इस खाता से प्रतिवादी का नाम कलमजन करवाने की वादिया अधिकारी है।

यह कि वादिया ने प्रतिवादी से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वह अपने नाम दर्ज भूमि वादिया को घरू बंटवारा में प्राप्त होना स्वीकार कर वादिया के नाम घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा देवें लेकिन वह इनकार हो गया। यही वाद कारण है।

यह कि वादपत्र में वर्णित [illegible] के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है, जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्र[illegible] जा रहा है।

अतः वादपत्र मय शपथ [illegible] है कि वादपत्र वादिया बहक विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री [illegible] —

क— कि घोषणा फरमाई जावें कि वादपत्र की [illegible]ण संख्या 3 में वर्णित [illegible] 4 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 82/73 पत्थर

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:52 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 127/212 (9) किला नंबर 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15, 16/1, पत्थर नंबर 128/212 (10) किला नंबर 1/1, 1/2, 10, 11 कुल 1.645 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि की वादिया खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

ख– कि उक्त खाता से प्रतिवादी का नाम कलमजन फरमाया जावे।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सहारण ने वकालतनामा व जवाब दावा सहमति का पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक वाद पत्र के वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया। जवाब सहमति पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादिया वाद मुताबिक अनुतोष के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः वाद वादिया मुताबिक अनुतोष निर्णित किया जाता है किः– चक 4 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 82/73 पत्थर नंबर 127/212 (9) किला नंबर 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15, 16/1, पत्थर नंबर 128/212 (10) किला नंबर 1/1, 1/2, 10, 11 कुल 1.645 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि की वादिया संतोष को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 शिवप्रकाश का नाम कलमजन किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो वसूल करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **(दिव्या) RAS**

प्रकरण संख्याः–378/2023

संतोष पुत्री स्व. ओमप्रकाश पत्नी दलीप कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नं. 1 चक 6 केकेडब्ल्यू सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– वादिया

बनाम्

शिवप्रकाश पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति जाट निवासी वार्ड नं. 1 चक 6 केकेडब्ल्यू सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भवानी सिंह निर्वाण वकील वादिया मिन जामिन मुदई श्री सुरेन्द्र सहारण वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः– चक 4 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 82/73 पत्थर नंबर 127/212 (9) किला नंबर 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 15, 16/1, पत्थर नंबर 128/212 (10) किला नंबर 1/1, 1/2, 10, 11 कुल 1.645 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि की वादिया संतोष को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 शिवप्रकाश का नाम कलमजन किया जाता है। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार वसूल करेंगे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायमी के आदेश दिए जाते है। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:52 IST
Reason: SelfAttested